

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अधि सूचना

म०म०स०- म०म०स०-०५ / वे०भ० संशोधन-१२८ / २०१७ १२३६ / झारखण्ड विधान-मंडल
नेता-विरोधी दल (वेतन और भत्ता) नियमावली, २०१५ के नियम- ५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

:संशोधनः:

- i) नियमावली के नियम-२ (क) में अंकित शब्द समूह "विरोधी दल के ऐसे नेता को" के पश्चात् एवं शब्द "वेतन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु० ५०,०००/- (पचास हजार) मात्र" को "रु० ६५,०००/- (पैंसठ हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- ii) नियमावली के नियम-२ (ख) में अंकित शब्द समूह "विरोधी दल के नेता की" के पश्चात् एवं "क्षेत्रीय भत्ता" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु० ३०,०००/- (तीस हजार) मात्र प्रतिमाह" से तथा अंकित शब्द समूह "क्षेत्रीय भत्ता और" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह की दर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु० ३०,०००/- (तीस हजार) मात्र" को "रु० ४५,०००/- (पैंतालीस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- iii) नियमावली के नियम-२ (घ) (iv) में अंकित शब्द समूह "विरोधी दल के नेता को" के पश्चात् एवं "का गृह ऋण" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु० ३०,००,०००/- (तीस लाख) मात्र" को "रु० ४०,००,०००/- (चालीस लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- iv) नियमावली के नियम-२ (ङ.) में अंकित शब्द समूह "विरोधी दल के नेता को" के पश्चात् एवं "प्रतिदिन राज्य के अन्दर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु० १,५००/- (एक हजार पाँच सौ) मात्र" को "रु० २,०००/- (दो हजार) मात्र" से तथा अंकित शब्द समूह "प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं" के पश्चात् तथा "प्रतिदिन राज्य के बाहर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु० २,०००/- (दो हजार) मात्र" को "रु० २,५००/- (दो हजार पाँच सौ) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- v) नियमावली के नियम-२ (छ) में अंकित शब्द समूह "विरोधी दल के नेता को" के पश्चात् तथा शब्द "४% (चार प्रतिशत) वार्षिक ब्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु० १५,००,०००/- (पंद्रह लाख) मात्र" को "रु० २०,००,०००/- (बीस लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- vi) नियम-२ (छ) में नया उप नियम २(छ) (ii) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है :-
"नेता विरोधी दल राशि रु० २०,००,०००/- (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"

vii) नियमावली के नियम-2 (ज्ञ) में अंकित शब्द समूह "विरोधी दल के नेता को" के पश्चात् तथा शब्द "प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता" के पूर्व अंकित शब्द एवं अंक "₹ 5,000/- (पांच हजार) मात्र" को "₹ 10,000/- (दस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।


viii) नियमावली के नियम-2 (ज) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"नेता विरोधी दल भारत में हवाई/जलपोत यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री ले जाने के हकदार होंगे। हवाई/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान निर्धारित सीमा के अन्दर विधान सभा द्वारा देय होगा तथा HOR की सुविधा पूर्ववत् मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा दी जाती रहेगी।"

2. नियमावली के नियम-4 को नियम-3 पढ़ा जायेगा तथा नियम-5 को नियम-4 पढ़ा जायेगा।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(राजकुमार चौधरी)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- म0म0स0-05 / वे०भ० संशोधन-128 / 2017 1236 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई०।

प्रतिलिपि - राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली / सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- म0म0स0-05 / वे०भ० संशोधन-128 / 2017 1236 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई०।

प्रतिलिपि - महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- म0म0स0-05 / वे०भ० संशोधन-128 / 2017 1236 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई०।

प्रतिलिपि- प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।



सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— म0म0स0—05 / वे०भ० संशोधन—128 / 2017 1236 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई०।
प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— म0म0स0—05 / वे०भ० संशोधन—128 / 2017 1236 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई०।
प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड
राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी
विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव